



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में गाड़ी लूटकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर धोखाधड़ी करने की घटना कारित करने के आरोपी इरफान उर्फ सोनू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 03 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-



ए.पी.ओ. श्री अभिराम
गौतम

अवगत कराना है कि वर्ष 2013 में अभियुक्त इरफान उर्फ सोनू पुत्र समयदीन निवासी ग्राम बली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा गाड़ी लूटकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर धोखाधड़ी करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 348/2013 धारा 392/411/420/467/468 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 09.12.2025 को मा0 न्यायालय सीजे(जेडी) एफटीसी जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त इरफान उर्फ सोनू को दोषी पाते हुए 03 वर्ष के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



का0 सुनील कुमार थाना
बिनौली कोर्ट पैरोकार

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 09.12.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 203/2025 व 204/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए आभूषण पीली धातु (वजन करीब 73.180 ग्राम) व सफेद धातु (वजन करीब 343.590 ग्राम) (कुल कीमत 12 लाख 40 हजार रुपये) व 02 अवैध तमंचा .315 बोर व एक चाकू तथा निशांदेही पर मु0अ0सं0 200/25 व 202/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 किलोग्राम कॉपर तार व एक प्लास बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

1-दिनांक 07.12.2025 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री रोहित पुत्र सूरजपाल ग्राम गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि 03 अज्ञात चोरों द्वारा उसके मकान का ताला तोड़कर कमरे में रखी



अलमीरा से सोने व चांदी के जेवर जिसका भार लगभग 180 ग्राम था व 01 लाख रुपये नगद चोरी कर लिये गए हैं । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 203/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

2-दिनांक 07.12.2025 को थाना चांदीनगर पर वादी नीरज पुत्र शोभाराम ग्राम लहचौडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा उसके घर का ताला तोड़कर कमरे में रखा सन्दूक से उसकी माता के सोने के कुन्डल चोरी कर लिए गए । इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना

चांदीनगर पर मु0अ0सं0 204/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 203/2025 व 204/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किये हुए आभूषण पीली धातु (वजन करीब 73.180 ग्राम) व सफेद धातु (वजन करीब 343.590 ग्राम) (कुल कीमत 12 लाख 40 हजार रुपये) व 02 अवैध तमंचा .315 बोर व एक चाकू तथा निशांदेही पर मु0अ0सं0 200/25 व 202/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 03 किलोग्राम कॉपर तार व एक प्लास बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

1-कृष्ण उर्फ चेतू पुत्र स्व0 सुरेश निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-फुरकान अली पुत्र यासीन निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-प्रिन्स पुत्र स्व0 अतर सिंह निवासी कस्बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किये हुए आभूषण पीली धातु (वजन करीब 73.180 ग्राम) व सफेद धातु (वजन करीब 343.590 ग्राम) (कुल कीमत 12 लाख 40 हजार रुपये) (मु0अ0सं0 203/2025 व 204/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस से सम्बन्धित)
- 02 अवैध तमंचा .315 बोर व एक चाकू ।
- निशांदेही पर 03 किलोग्राम कॉपर तार व एक प्लास (मु0अ0सं0 200/25 व 202/25 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित)

गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण उर्फ चेतु का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 602/21 धारा 34/380/411/457 भादवि थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद ।

2-मु0अ0सं0 606/21 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद ।

3-मु0अ0सं0 607/21 धारा 414 भादवि टीला मोड जनपद गाजियाबाद ।

4-मु0अ0सं0 01/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट टीला मोड जनपद गाजियाबाद ।

5-मु0अ0सं0 365/24 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस टीला मोड जनपद गाजियाबाद ।

6-मु0अ0सं0 564/24 धारा 305/317(2) बीएनएस टीला मोड जनपद गाजियाबाद ।

7-मु0अ0सं0 203/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

8-मु0अ0सं0 204/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

9-मु0अ0सं0 202/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

10-मु0अ0सं0 200/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त फुरकान अली का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 181/2024 392/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 236/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 203/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 204/2025 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 202/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

6-मु0अ0सं0 200/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 श्री अतर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 898 सतीश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 5-है.का. 378 बलराज सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 6-का0 957 पवन कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 7-का0 751 सादाब खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 8-का0 209 मनीष बैसोया थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 9-का0 224 मोहित कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 10-का0 427 अरूण कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 09.12.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 767/25 धारा 109(1)/3(5)/115(2)/118(1)/352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 28-11-2025 को थाना बडौत पर वादी ओमप्रकाश पुत्र संगत निवासी मेहर पट्टी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.कान्हा पुत्र लक्ष्मण, 2. सोनू पुत्र धर्मपाल व 3. विक्की पुत्र राकेश निवासीगण पट्टी मेहर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत



द्वारा उसके पुत्र के साथ मारपीट की गयी व चाकू मारकर घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 767/25 धारा 115(2)/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के क्रम में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 109(1)/3(5) बीएनएस की बढौत्तरी की गई ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 767/25 धारा 109(1)/3(5)/115(2)/118(1)/352 बीएनएस

में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

विककी पुत्र राकेश निवासी पट्टी मेहर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तौगी थाना बडौत जनपद बागपत।

2-है0का0 817 गुलवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।





प्रेस नोट

थाना खेकड़ा दिनांक 09.12.2025

ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने 10 वर्षीय गुमशुदा बच्ची को तलाश कर उसके परिजनों को सकुशल किया सुपुर्द ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.12.2025 को थाना खेकड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा रटौल से एक 10 वर्षीय बच्ची गुम हो गयी है। इस सूचना पर थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए बच्ची की तलाश शुरू की गयी।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 10 वर्षीय बच्ची को तलाश कर उसके परिजनों को सकुशल सुपुर्द किया गया। परिजनों द्वारा खेकड़ा पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ० नि० श्री भुरेन्द्र सिंह थाना खेकड़ा।
- 2-म०उ०नि० करिशमा यादव थाना खेकड़ा।
- 3-है०का० 34 अवधेश थाना खेकड़ा।
- 4-है०का० 397 मौ० रफीक खान थाना खेकड़ा।
- 5-है०का० 440 काशिम खान थाना खेकड़ा।
- 6-है०का० 886 अमित कुमार थाना खेकड़ा।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 09.12.2025

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 442/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाइल फोन बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.12.2025 को थाना खेकड़ा पर वादी सलीम पुत्र इसराइल निवासी करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित सूचना दी कि 02 मोटर साइकिल सवार व्यक्ति मौका पाकर उसका मोबाइल फोन व 500 रुपये ले गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 442/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरो/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 442/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ मोबाइल बरामद हुआ है ।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

दीपाँशु पुत्र विनोद निवासी ग्राम सांकरौद थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी किया हुआ एक मोबाईल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री कपिल कुमार थाना खेकडा ।
- 2-है०का० 793 राजेश कुमार थाना खेकडा ।
- 3-है०का० 299 रामकुमार कुमार थाना खेकडा ।





प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 09.12.2025

थाना बालैनी पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम

व पता-

1-रोबिन पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम पांची थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-कुलदीप पुत्र जयपाल निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना बालैनी पुलिस टीम ।

